न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 49/2011 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— सज्जनसिंह पुत्र बूडसिंह जाति जटसिख निवासी नाईयांवाली (चक 1 एम.डब्ल्यू.एम.) तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

——— **अपीलान्ट**

— **बनाम** —

स्टेट ऑफ राजस्थान।

——— **रेस्पोडेन्ट**

उपस्थित :— श्री करणसिंह — अभिभाषक अपीलांट

श्री भगवानसिंह — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 04.06.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 30.05.2011, जिसमें अपीलांट के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 162/अप्रेल/90/फिरोजपुर, आउट साईड नं. 50/2006 डीएम श्रीगंगानगर निरस्त किया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 162/अप्रेल/90/फिरोजपुर, आउट साईड नं. 50/2006 डीएम श्रीगंगानगर, 315 बोर राईफल का समस्त भारत के लिये जारी शुदा है, जो दिनांक 31.12.2008 तक नवीनीकृत है। अपीलांट द्वारा उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र का आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण का प्रार्थना दिनांक 1.1.09 जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर पुलिस से रिपोर्ट ली गई। नवीनीकरण आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत शस्त्र अनुज्ञा पत्र की डूप्लीकेट प्रति, जो एडीएम फिरोजपुर द्वारा जारी की गई थी, प्रस्तुत की गई। इस संबंध में एडीएम फिरोजपुर से रिपोर्ट ली गई। एडीएम फिरोजपुर की सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 26.8.09 में आवेदक का पता ग्राम धींपावाला तहसील फाजिल्का दर्ज होना बतलाया गया है, जबकि आवेदक ने अपने लाईसेंस नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आवेदन पत्र में ग्राम नाईयांवाली चक 1 एम. डब्ल्यू. एम.तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर का निवासी होना अंकित किया है, इस प्रकार डूप्लीकेट शस्त्र अनुज्ञा पत्र को गलत तथ्यों के आधार पर जारी करवाना मानते हुए जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2011 द्वारा अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 162/अप्रेल/90/फिरोजपुर, आउट साईड नं. 50/2006 डीएम श्रीगंगानगर को निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर प्राप्त किया गया तथा बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री करणसिंह का मुख्य कथन है कि अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 162/अप्रेल/90/फिरोजपुर, आउट साईड नं. 50/2006 डीएम श्रीगंगानगर गलत तथ्यों के आधार पर जारी करवाया जाना प्रतीत होने के आधार पर निरस्त किया गया है, जो किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। जबकि एडीएम फिरोजपुर की सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 26.8.09 में अपीलांट का अनुज्ञा पत्र सं. 162/अप्रेल/78/फाजिल्का/315 बोर राईफल का बना है, जिसका आउट साईड नं. 50/2006 डीएम गंगानगर दर्ज होकर वर्ष 2008 तक नवीनीकृत है, परन्तु लिपिकीय भूल से डूप्लीकेट प्रति में अनुज्ञा पत्र सं. 162/अप्रेल/90 लिख दिया गया, जो सही नहीं है, बल्कि वास्तविक नं. 162/अप्रेल/78 ही है। एडीएम फिरोजपुर की सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 26.8.09 में अपीलांट का अनुज्ञा पत्र सं. 162/अप्रेल/78/ फाजिल्का दर्ज है, फिर भी किसी प्रकार का संदेह था तो डूप्लीकेट कोपी फिरोजपुर भेजकर दुबारा जांच करवाई जा सकती थी परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना जांच किये अपीलांट का शस्त्र लाईसेंस निरस्त कर दिया जो किसी भी प्रकार से विधि–सम्मत आदेश नहीं है। पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा भी अपीलांट के अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण में कोई आपति नहीं बताई। अपीलांट के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है और ना ही किसी मुकदमें में सजा हुई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री भगवानसिंह ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 25.6.09 की रिपोर्ट में आवेदक को लाईसेंस नवीनीकरण करने में कोई आपत्ति नहीं होना बतलाई है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने आवेदक द्वारा नवीनीकरण आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत शस्त्र अनुज्ञा पत्र की डूप्लीकेट प्रति के संबंध में

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

एडीएम फिरोजपुर द्वारा भिजवाई गई सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 26.8.09 में आवेदक का निवास स्थान ग्राम धीपांवाली तह0 फाजिल्का तथा अनुज्ञा पत्र 162/अप्रेल/90/फिरोजपुर, आउट साईड नं. 50/2006 जारी होना अंकित किया है, जबकि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 25.6.09 में आवेदक को ग्राम नाईयांवाली चक 1 एम.डब्ल्यू.एम.तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर का निवासी होना अंकित किया है, इस प्रकार विरोधाभासी रिपोर्ट होने का अपीलाधीन आदेश में आधार लिया जाना उचित है। डूप्लीकेट अनुज्ञा पत्र संदिग्य मानते हुए ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। अपीलान्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.5.11 के विरुध्द इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 10.8.11 को प्रस्तुत की गयी है । मियाद के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा धारा–5 के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किये गये तथ्यों को सही मानते हुए न्यायहित में अपील अपीलान्ट मियाद में शुमार की जाती है।

7. प्रकरण अनुसार अपीलांट ने अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण करवाने के उद्देश्य से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 1.1.2009 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गयी । जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 25.6.09 में आवेदक को ग्राम नाईयांवाली चक 1 एम.डब्ल्यू.एम. तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर का निवासी होना अंकित किया है, जबकि एडीएम फिरोजपुर द्वारा भिजवाई गई सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 26.8.09 में आवेदक का निवासी स्थान ग्राम धीपांवाली तह0 फाजिल्का तथा अनुज्ञा पत्र 162/अप्रेल/90/फिरोजपुर, आउट साईड नं. 50/2006 जारी होना अंकित किया है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 162/अप्रेल/90/फिरोजपुर, आउट साईड नं. 50/2006 अंकित होना बताया है जबकि लिपिकीय भूल वर्ष वर्ष 78 के स्थान पर 90 अंकित हुआ है, अपीलांट वर्ष 1980 से अनूपगढ तहसील में रह रहा है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध एडीएम फिरोजपुर की सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 26.8.09 में आवेदक का पता ग्राम धींपावाली तह. फाजिल्का लिखा गया है, नवीनीकरण के आवेदन पत्र में आवेदक ने अपना पता ग्राम नाईयांवाली चक 1 एमडबल्यूएम तह. अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर लिखा है, जो विरोधाभाषी रिपोर्ट है। हम इस तथ्य से

उपायुक्त
बीकानेर

सहमत हैं कि अपीलांट वर्ष 1980 से चक 1 एमडब्ल्यूएम में आबाद है तो वर्ष 1990 में उसकी रिहायश फिरोजपुर में कैसे हो सकती है, अधिनस्थ न्यायालय ने भी अपने अपीलाधीन आदेश में इसे गंभीरता से लिया है, जो उचित प्रतीत होता है। राज्य पक्ष की ओर से विद्वान सहायक लोक अभियोजक द्वारा व्यक्त कथन भी इस बात पर सहमति को दर्शाते हैं। उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए हम अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2011 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है।

8. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 04.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमानसहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर